भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1058
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

1058. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त संशोधनों के उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(ख) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए व्यय और शुरू की गई परियोजनाओं की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और
(ग) क्या सरकार ने सीएसआर निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई नई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)
(क): कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों को व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करके, हितधारकों के लिए कारपोरेट अनुपालन में सुधार लाकर तथा देश में कारपोरेटों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले उभरते मुद्दों का समाधान करके भी देश में जीवन निर्वाह को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों की जांच करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए कंपनी विधि समिति (सीएलसी) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें करने और जांच करने के लिए किया गया है।

सीएलसी ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं, जो मोटे तौर पर कानून का पालन करने वाले कारपोरेट्स के लिए व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने, अधिनियम की परिचालन दक्षता को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए मौजूदा नियामक प्रथाओं को मजबूत करने, तेजी से विकसित हो रहे कारपोरेट परिदृश्य और बदलती व्यावसायिक प्रथाओं आदि के आलोक में नई अवधारणाओं को पहचानने से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट को जनता की टिप्पणियों हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया था। प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जिन्हें सीएसआर के तहत कंपनियों द्वारा किया जा सकता है।

कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना होता है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और उसी तरीके से किया गया है। सीएसआर समिति सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निधियों के उपयोग के तौर-तरीके, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण शामिल है। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों, जिनकी अपनी वेबसाइट हैं, को अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है।

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा पर्याप्त निगरानी तंत्र प्रदान करता है।

सीएसआर अनिवार्य कंपनियों को हर वर्ष सीएसआर-2 प्ररूप फ़ाइल करना अपेक्षित है जो प्रत्येक कंपनी के सीएसआर से संबंधित कार्यकलापों के बारे में जानकारी के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, यदि सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****